प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 12.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 12.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 62 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे **ऑपरेशन धरपकड़** अभियान के तहत दिनांकः- 11.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 अंकित कुमार यादव, म0उ0नि0 एकता भदौरिया मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.पवन कुशवाहा पुत्र घसीटा उम्र 23 वर्ष, 2.सुखनन्दन कुशवाहा पुत्र घसीटा उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा 3.छत्रपाल पुत्र परमलाल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा को घटनास्थल धरौन रोड के पास कस्बा कबरई के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से 02 प्लास्टिक की बोरी मे क्रमशः 20-20 क्वार्टर व 01 प्लास्टिक के झोले से 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्राण्ड, कुल 62 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर थाना कबरई में क्रमशः मु0अ0सं0 38/2025, मु0अ0सं0 39/2025 व मु0अ0सं0 40/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः –

1. उ0नि0 अंकित कुमार यादव
2. म0उ0नि0 एकता भदौरिया
3. हे0का0 रामकरन सिंह 4. हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद 5. का0 शैलेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. पवन कुशवाहा पुत्र घसीटा उम्र वर्ष 23
2. सुखनन्दन कुशवाहा पुत्र घसीटा उम्र वर्ष निवासीगण ग्राम गंज थाना कबरई 35जनपद महोबा
3. छत्रपाल पुत्र परमलाल उम्र वर्ष निवासी ग्राम धरौन 20 थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्तगण के कब्जे से 02 प्लास्टिक की बोरी मे क्रमशः 20-20 क्वार्टर देशी शराब व एक प्लास्टिक के झोले से 22 क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद होना।

@MahobaPolice

थाना कबरई की पुलिस टीम ने एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेत चलाये जा रहे ऑपरेशन धरपकड़ अभियान के तहत आज दिनांक- 12.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने मु0नं0 103/15 धारा 323/504/506 भा0दं0वि0 व 3(1)10 एससी-एसटी एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त सभा सिंह पुत्र दर्शन सिंह उम्र करीब 47 वर्ष निवासी सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा को रात्रि गश्त के दौरान थाना क्षेत्र के सिचौरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

सभा सिंह पुत्र दर्शन सिंह उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नरेश चन्द्र निगम
2. हे0कां0 संदीप कुमार 3. पीआरडी कौशल किशोर

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने आपराधिक प्रवृत्ति के एवं मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे **ऑपरेशन धरपकड़** अभियान के तहत आज दिनांक- 12.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2025 धारा 304/317(2) बीएनएस से संबंधित 01 नफर वाँछित एवं आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह उर्फ रघ्घू पुत्र स्व0 हरनाथ सिंह उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के ग्राम भूरा टूडर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह 2. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
3.कां0 धर्वेन्द्र कुमार 4.कां0 नितिन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

राघवेन्द्र सिंह उर्फ रघ्घू पुत्र स्व0 हरनाथ सिंह उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 150/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कुलपहाड़
2. मु0अ0सं0 259/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कुलपहाड़
3. मु0अ0सं0 151/20 धारा 323/353/504/506 भादवि व 3(1)द,ध,3(2)5क एससी एससी एक्ट अजनर
4. मु0अ0सं0 559/13 धारा 354 भादवि थाना अजनर
5. मु0सि0सि0नं0 692/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अजनर
6. मु0अ0सं0 176/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना अजनर
7. मु0अ0सं0 178/23 धारा 3/25 ए एक्ट थाना अजनर
8. मु0अ0सं0 147/24 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना अजनर
9. मु0सि0सि0नं0 09/24 धारा 3 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना अजनर
10. मु0अ0सं0 28/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना महोबकंठ

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने बकरी चोरी करने वाले 02 नफर वांछित एवं ₹ 10-10 हजार के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है-

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डिजायर कार सहित, चोरी की बकरियां बेचने के 11,020/- रु. नगद बरामद-

गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक के विरुद्ध चोरी, पशू क्रूरता, गांजा, गैंगेस्टर, गुण्डा एक्ट इत्यादि के विभिन्न आपराधिक अभियोग हैं पंजीकृत...।

दिनांक- 31.01.2025 को थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम घंडुआ में 03 अभियुक्तों द्वारा 06 बकरी चोरी कर उनको डिजायर कार नं0 यूपी 77 ए आर 1284 में लादकर ले जाने का प्रयास किया गया, जिस पर वादी के जगने पर अभियुक्तों को पकडने की कोशिश की गयी जिस दौरान एक अभियुक्त बृजराज सिंह पुत्र राजकिशोर निवासी भौती थाना सचेदी जनपद कानपुर नगर गाड़ी से गिर गया था, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात में सुधार होने पर पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपने साथ अन्य दो साथियों की पहचान बतायी।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त चोरी की घटना का संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 चेतराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बकरी चोरी के सम्बन्ध में थाना खन्ना में पंजीकृत किये गये मु0अ0स0 12/25 धारा 307/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. मुन्ना उर्फ रफीक पुत्र रसीद निवासी सैथा थाना गजनेर जिला कानपुर देहात उम्र 46 वर्ष 2. सीताराम पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम भिल्सी थाना गजनेर जिला कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष को थानाक्षेत्र अन्तर्गत बुदेंलखण्ड एक्सप्रेसवे पुल खन्ना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उन लोगों ने बकरियों को 17 हजार रुपये में बेचा है जिसके पैसे आपस में बांट लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डिजायर कार नं0 यूपी 77 ए आर 1284 व चोरी की गयी बकरियो के बेचने के कुल 11020/- रुपये नगद बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद स्तर पर 10-10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक के विरुद्ध चोरी, पशू क्रूरता, गांजा, गैंगेस्टर, गुण्डा एक्ट इत्यादि के विभिन्न आपराधिक अभियोग हैं पंजीकृत...।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मुन्ना उर्फ रफीक पुत्र रसीद निवासी सैथा थाना गजनेर जिला कानपुर देहात उम्र 46 वर्ष
2. सीताराम पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम भिल्सी थाना गजनेर जिला कानपुर देहात उम्र 40 वर्ष

बरामद सम्पत्ति –

1. एक डिजायर कार नं0 यूपी 77 ए आर 1284
2. 11020 रुपये (बेची गयी बकरियो की राशि) बरामद हुयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 चेतराम
2. उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह
3. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
4. हे0का0 मो0 हक
5. का0 हरनाम

महोबा पुलिस

आपराधिक इतिहास – मुन्ना उर्फ रफीक पुत्र रसीद उम्र करीब 46 वर्ष नि0 ग्राम सैथा थाना गजनेर जिला कानपुर देहात

1. मु0अ0सं0 154/18 धारा- 379/411 भादवि थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 155/18 धारा- 11घ पशु क्रूरता अधि0 थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 189/08 धारा- 41/414 भादवि थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0स0 28/19 धारा- 380/457/411 भादवि थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 42/19 धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
6. मु0अ0स0 53/19 धारा- 307 पु0मु0 थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0 158/19 धारा- 379 भादवि थाना गोहन जनपद जालौन
8. मु0अ0सं0 205/19 धारा- 379 भादवि थाना माधौगढ़ जनपद जालौन
9. मु0अ0सं0 129/20 धारा- 3/5 गुण्डा एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
10. मु0सि0सि0न0 80/24 धारा- 129 जी बीएनएसएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
11. मु0अ0स0 73/24 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
12. मु0अ0स0 12/25 धारा- 307 बीएनएस थाना खन्ना जनपद महोबा

चेकिंग के दौरान लूट के वांछित अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर किया फायर, जनपदीय एसओजी एवं थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने सिखलाए हुए तरीके से फायर करने वाले एवं लूट की घटना में संलिप्त 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गयी सम्पत्ति, घटना में प्रयुक्त मो0सा0 सहित 02 अवैध तमंचा, 01 खोखा एवं 02 जिन्दा कारतूस व जनपद हमीरपुर में लूट से संबंधित आधार कार्ड की बरामदगी करते हुए लूट की 02 घटनाओं का सफल अनावरण किया है।

दिनांक- 06.02.2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के ग्राम सबुआ के पास 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना चरखारी के ग्राम गुढा निवासी ओमप्रकाश राजपूत के साथ गालीगलौच कर उसकी जेब में पडे 08 हजार रुपये छीन लिए गए थे। इस तहरीरी सूचना के आधार पर थाना चरखारी में मु.अ.स. 21/2025 धारा 309(4)/352/125A बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रचिलित की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटित घटना का संज्ञान लिया गया व इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए घटना का सफल अनावरण किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना चरखारी पुलिस की संयुक्त पुलिस टीमों को लगाया गया।

गठित पुलिस टीमों द्वारा इस घटना के सफल अनावरण हेतु विभिन्न सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया व विभिन्न साक्ष्यों को संकलित किया गया, इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2025 को मुखबिर ने सूचना दी कि लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्त 02 मोटरसाइकिलों से किसी घटना को अंजाम देने के इरादे से राठ रोड गौरहारी की तरफ से चरखारी की ओर आ रहे हैं, इस सूचना पर पुलिस टीमें सक्रिय हुई और थानाक्षेत्र के चरखारी राठ रोड पर स्थित शियर माता मंदिर ग्राम गुढ़ा के पास पेड़ों में छिपकर अभियुक्तों का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गौरहारी की तरफ से दो मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जिस पर तीन-तीन व्यक्ति सवार थे, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो उन लोगों ने एक राय होकर तमंचा निकालकर निशाना साधकर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया, पुलिस टीम ने सिखलाए हुए तरीके से अपना बचाव करते हुए मौके से 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.शिवम् उर्फ शिब्बू पुत्र नरेन्द्र राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम करगंवा थाना राठ जनपद हमीरपुर 2. विकास उर्फ विक्की पुत्र रामचरन अहिरवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पारा थाना जरिया जनपद हमीरपुर 3. रवि पुत्र विपिन सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 4. आकाश पुत्र नन्दराम श्रीवास उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर को पकड़ लिया गया। इस दौरान 02 अभियुक्त मोटर साइकिल लेकर भागने में सफल हुए हैं। जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीमें रवानाशुदा है शीघ्र ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस सहित लूटे गये 08 हजार रुपयों में से 3150/- रु. व 01 अदद मोबाइल तथा हमीरपुर के थाना मझगवां में लूट से संबंधित पंजीकृच मु0अ0सं0 14/25 धारा 309(6) BNS से सम्बन्धित लूटा गया आधार कार्ड की बरामदगी की गयी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बारमदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त जेल भेजा जा रहा है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवम् उर्फ शिब्बू पुत्र नरेन्द्र राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम करगंवा थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. विकास उर्फ विक्की पुत्र रामचरन अहिरवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पारा थाना जरिया जनपद हमीरपुर
3. रवि पुत्र विपिन सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम ममना थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर
4. आकाश पुत्र नन्दराम श्रीवास उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम सरीला थाना जरिया जनपद हमीरपुर

बरामदगी का विवरण-

- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- लूट के 3150 रु. नगद
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल UP95Q3028 को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया
- जनपद हमीरपुर के थाना मझगवां में लूट से संबंधित पंजीकृच मु0अ0सं0 14/25 धारा 309(6) BNS से सम्बन्धित लूटा गया आधार कार्ड।

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट
2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांश
3. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह
4. हे.कां. भूपेन्द्र सिंह 5. कां. दीपक वर्मा
6. कां0 रंजीत सिंह 7. कां. आशीष बघेल
8. कां.निर्भय सिंह 9. कां. कुलदीप यादव
10. कां. सत्यम सिंह जादौन11. कां. अभिषेक दुबे

गिरफ्तार करने वाली थाना चरखारी पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष चरखारी प्रवीण कुमार सिंह
2.व0उ0नि0 रमेश कुमार यादव
3.उ0नि0 सनय कुमार
4.उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
4. उ0नि0 विशाल बाजपेई
5. हें.कां. श्याम सिंह
6. का0 आर्यन सिंह
7.का0 कामिल खान
8. का0 जयदीप पटेल

महोबा पुलिस

आज दिनांक 12.02.2025 को जनपद महोबा के थाना श्रीनगर के ग्राम भण्डरा से सूचना प्राप्त हुयी थी कि एक पक्ष द्वारा जब अपना आयोजन समाप्ति कर अपने घर वापस जा रहे थे तब दूसरे पक्ष के कुछ युवकों द्वारा सम्भवतः नशे की हालत में व्यवधान डाला गया तथा उनके साथ वाद विवाद किया गया जहां मौके पर पुलिस बल मौजूद था।

उक्त प्राप्त सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा गया, वर्तमान में शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। कुछ लोगों को मामूली चोटें आयी है जिनका चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जायेगा, आक्रामक पक्ष के युवकों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा दी गयी बाइट।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने बकरी चोरी करने वाले 02 नफर वांछित एवं ₹ 10-10 हजार के ईनामिया 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डिजायर कार सहित, चोरी की बकरियां बेचने के 11,020/- रु. नगद की बरामदगी की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक के विरुद्ध चोरी, पशू क्रूरता, गांजा, गैंगेस्टर, गुण्डा एक्ट इत्यादि के विभिन्न आपराधिक अभियोग हैं पंजीकृत...। इस घटना के सफल अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा दी गई बाइट।